न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 02/2019

अनवान :

1. गणतपसिंह पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. दरियासिंह पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. सुबेसिंह पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. जयवीर पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. सतवीर पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादीगण

बनाम

1. मनोहरलाल पुत्र शेरा जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. घोघा पुत्री मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. गुड्डी पुत्री मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955
उपस्थिति : वकील श्री रविन्द्र मोठसरा : वादीगण
वकील श्री संदीप गोदारा : प्रतिवादी सं0 1 ता 3
निर्णय **दिनांक : 31-01-2022**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। जिनका खानपान सम्पति आदि सारी संयुक्त है। रोही मौजा भनाई में खाता सं0 315/279 के खसरा सं0 359/338 में 4.806 है0 बारानी एवं रोही उतरादाबास में खाता सं0 138/135 में खसरा नं0 116 तादादी 0.708 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी भूमि स्थित है। वाद भूमि वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादी मनोहरलाल के नाम परिवार का कर्ता होने के कारण खातेदारी दर्ज है जो कि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का भी जन्म से हक निहित है। प्रतिवादीगण घोघा एवं गुड्डी वादीगण की बहने है जो शादीशुदा है एवं अपने ससुराल रहती है दोनों प्रतिवादीयान ने अपनी शादी के समय उक्त कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी मनोहरलाल के पक्ष में त्याग कर दिया था। वादीगण की माता भागा का देहान्त हो चुका है। वाद कृषि भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा है एवं प्रतिवादी मनोहरलाल का भी वाद भूमि में 1/6 हिस्सा है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक भादरा (हनुमानगढ़)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए जबाबदावा पेश किया।

वाद एवं परिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वाद भूमि रोही भनाई के खाता सं0 315/279 के अन्दर खसरा नं0 359/338 में 4.806 है0 बारानी एवं रोही मौजा उतरादाबास में खाता सं0 138/135 में खसरा नं0 116 तादादी 0.708 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी भूमि में तन्हा प्रतिवादी मनोहरलाल की बजाय वादीगण गणपतसिंह, दरियासिंह, सुबेसिंह, जयवीर, सतवीर प्रत्येक बहिस्सा बराबर 1/6–1/6 हिस्सा एवं स्वयं प्रतिवादी मनोहरलाल 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है ?

– वादीगण

2. आया कि वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें वादीगण का भी जन्म से हक निहित है ?

– वादीगण

3. अनुतोष !

साक्ष्य वादी में वादी गणपतसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यचित्रप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम उतरादाबास खाता सं0 138/135 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, सत्यचित्रप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम भनाई खाता सं0 315/279 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 2, सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी खसरा गिरदावरी (चतुर्थवर्षीय) ग्राम भनाई सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम उतरादाबास सम्वत् 2043 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खसरा सेटलमेन्ट विभाग ग्राम भनाई सम्वत् 2019 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये एवं सदस्य प्रमाण पत्र पेश किया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का भी जन्म से हक निहित है। प्रतिवादीगण घोघा एवं गुड्डी वादीगण की बहने है जिन्होने अपना हक व हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी मनोहरलाल के पक्ष में त्याग कर दिया था। इस प्रकार वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादीगण ने ग्राम उतरादाबास व भनाई के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है।

हस्तगत वाद में दो तनकीयात कायम की गई है दोनों तनकीयात एक दूसरे पर आधारित है इसलिए दोनों का निर्णय एक साथ किया जाना ही उचित है। वादीगण ने अपने दावा में वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी खसरा गिरदावरी (चतुर्थवर्षीय) ग्राम भनाई सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम उतरादाबास सम्वत् 2043 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खसरा सेटलमेन्ट विभाग ग्राम भनाई सम्वत् 2019 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाई है जिनमें मात्र फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खसरा सेटलमेन्ट विभाग ग्राम भनाई सम्वत् 2019 प्रदर्श 5 में खसरा नं0 338 वादीगण के दादा सेरा वल्द नन्दकरण के नाम दर्ज है। इसके अलावा ग्राम उतरादाबास की कृषि भूमि बाबत वादीगण ने कोई दादालाई रिकार्ड पेश नहीं किया है तथा सदस्य प्रमाण पत्र में मनोहरलाल के वारिसान में पाँच पुत्र दरियासिंह, गणपतसिंह, सुबेसिंह, जयवीर सिंह, सतवीर सिंह, व दो पुत्रियां गुड्डी घोघा होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रतिवादी मनोहरलाल व उसके वारिसान को मिलाने पर वाद कृषि भूमि में प्रत्येक का 1/8 हिस्स

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

बनता है किन्तु प्रतिवादीया गुड्डी व घोघा ने अपने जबाबदावा में स्वीकार किया है कि उन्होने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 अपने पिता मनोहरलाल के पक्ष में त्याग दिया है। इस प्रकार कृषि भूमि में कुल 6 हिस्सेदार शेष रहते है जिनका वाद कृषि भूमि में प्रत्येक का 1/6 हिस्सा बनता है। चूंकि वादीगण ग्राम उतरादाबास की कृषि भूमि को दादालाई साबित करने में असफल रहे है इसलिए उक्त तनकीयात आंशिक तौर साबित है।

अत : वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भनाई में खाता सं0 315/279 के खसरा सं0 359/338 में 4.806 है0 बारानी स्थित है जो कि प्रतिवादी सं0 1 मनोहरलाल के नाम दर्ज है में अकेले प्रतिवादी मनोहरलाल के बजाय वादीगण व प्रतिवादी मनोहरलाल प्रत्येक 1/6 हिस्सा अर्थात सभी संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। ग्राम उतरादाबास के खाता सं0 138/135 की कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 02/2019

अनवान :

1. गणतपसिंह पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. दरियासिंह पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. सुबेसिंह पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. जयवीर पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. सतवीर पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादीगण

बनाम

1. मनोहरलाल पुत्र शेरा जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. घोघा पुत्री मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. गुड्डी पुत्री मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र मोठसरा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 3 श्री संदीप मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेत प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भनाई में खाता सं0 315/279 के खसरा सं0 359/338 में 4.806 है0 बारानी स्थित है जो कि प्रतिवादी सं0 1 मनोहरलाल के नाम दर्ज है में अकेले प्रतिवादी मनोहरलाल के बजाय वादीगण व प्रतिवादी मनोहरलाल प्रत्येक 1/6 हिस्सा अर्थात सभी संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। ग्राम उतरादाबास के खाता सं0 138/135 की कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.19 16:23:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: